राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
394/2012 503/2012	ग्यारसीलाल / धालु धालु / ग्यारसीलाल 1	
09/2/18	आज यह पत्रावलीयों वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी द्वारा एक वाद बाबत् घोषणात्मक, दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी ख.न 477/1.41, 630/0.36, 631/0.53, 632/1.07, 633/0.79, 635/0.96, 636/0.37, 637/0.33, 658/0.53, 657/0.11, 658/0.53, 660/0.20, 661/0.39, 662/0.48, 663/0.58, 664/0.41, 669/0.04, 670/0.31, 671/0.11, 672/0.43, 673/0.46, वाके मौजा सुजाड नगर तहसील कोटपुतली स्थित है, जिसके साबिका ख.न 265, 266, 306, 307, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 320 थे, जिसके खातेदार काश्तकार मूला व ओंकार पुत्रान गोपाल थे। ओंकार पुत्र गोपाल ने अपने हिस्से में आई आराजी साबिका ख.न. 266 से बने हाल ख.न. 630, 631 रामलाल, धालु, रामनिवास, हरिपाल, श्योराम पुत्रान परसा को बेचान कर दिया। वाद में आगे अंकित किया गया कि प्रश्नगत आराजी को मूला, ओंकार पुत्रान गोपाल व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व रामलाल पुत्र परसा ने आपस मे बंटवारा कर लिया था, जिससे आराजी हाल ख.न. 664/0.41 मूला पुत्र गोपाल के हिस्से मे आई। उक्त समस्त आराजीयात के बंटवारे का निर्णय श्रीमान् ASO कोटपुतली द्वारा जरिये मिसल नम्बर 394/85 दिनांक 02/6/85 के द्वारा तकासमा कर सभी खातेदारान का राजस्व रिकार्ड मे अलग-अलग बंटवारा कर दिया था एवं उसी मुताबिक फरीकेन	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
394/2012 503/2012	ग्यारसीलाल / धालु धालु / ग्यारसीलाल	2

मौके पर काबिज चले आ रहे है। आराजी ख.नं. 664/0.41 मूला पुत्र ओंकार के हिस्से मे आया था एवं उसका पर्चा भी मूला पुत्र गोपाल के नाम जारी हो गया था किन्तु सेटलमेन्ट पर्चा मिसल बनाते समय सहवन से आराजी हाल ख.नं. 664/0.41 के राजस्व रिकार्ड मे मूला पुत्र ओंकार के साथ 1/8 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व रामलाल पुत्र परसा का नाम दर्ज कर दिया। वाद में आगे अंकित किया कि मूला फौत हो गये, जिसके वारिस इनके दो लड़के भगवाना, रामेश्वर हुये। भगवाना पुत्र मूला फौत हो गये, जिसके वारिस वादीगण 1 लगायत 6 है। रामलाल पुत्र परसा फौत हो गया, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 है। वाद में आगे अंकित किया गया कि वादीगण को आराजी हाल ख.नं. 664/0.41 के राजस्व रिकार्ड मे की गई गलती की जानकारी गत माह पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने से हुई। वादीगण ने अनेकों बार प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती कराने को कहा, परन्तु उन्होंने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। वाद मे यह भी अंकित किया गया कि उक्त गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त आराजी को दिगर व्यक्तियों को बैचान करने पर आमदा हो रहे है एवं वादीगण को मौके से जबरन बेदखल करने की धमकी देते है। अतः वादीगण द्वारा अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ग्यारसीलाल / धालु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
394/2012 503/2012	धालु / ग्यारसीलाल 3	

न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब दावा एवं का0022 क्लेम प्रस्तुत हुआ, जिसमे वादी के वाद को तकजीवकाराते हुये वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी। वादी द्वारा का0022 क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे निम्न तनकीयात कायम की गई:-

1- आया वाद पत्र के निमन नम्बर-1 में दर्ज आराजी के खातेदार काश्तकार भुला, ओंकार पुत्रान गोपाल थे एवं ओंकार पुत्र गोपाल ने अपने हिस्से मे आई आराजी साबिक खसरा नम्बर 266 से बने हाल खसरा नम्बर 630, 631 का बेचान रामलाल, धालु, रामनिवास, हरिपाल, श्योराम पुत्रान परसा को कर दिया। — वादी

2- आया वाद पत्र के निमन नम्बर-1 मे दर्ज आराजी का वादी एवं ओंकार के बुजुर्गान तथा प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 4 व रामलाल पुत्र परसा ने आपस मे कर दिया था एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 664/0.41 वाके मौजा सुजातनगर वादीगण के हिस्से में आया था, परन्तु सहवन से उक्त आराजी के 1/8 हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम दर्ज हो गया, जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। — वादी

3- आया आराजी हाल खसरा नम्बर 664 वाके मौजा सुजातनगर मे ओंकार पुत्र गोपाल ने अपना 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 07/6/88 को प्रभात पुत्र रामसिंह को बेचान

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
394/2012 503/2012	ग्यारसीलाल / धाळू धाळू / ग्यारसीलाल	4

कर दिया था तथा पश्चात पुत्र न्यारसिंह ने उक्त भूमि को वसीके रजिस्टर्ड दिनांक 11/6/98 को रामपाल वगैरा को बेचान कर दिया।

—प्रतिवादी

4- आया आराजी खाता खसरा नम्बर 664 के 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी बतौर खातेदार काबिज है एवं मिस्ल एवं धारा 308 के आधार पर बंटवारा करवाने का अधिकारी है।

—प्रतिवादी

5- अनुतोष

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात तनकीवार निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अपने निर्णय दिनांक 03/8/2012 के द्वारा अस्वीकार कर दिये गये। जिसके विरूद्ध वादी/अपीलान्ट एवं प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट-2 द्वारा पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई है, जिनमे बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गयी। चूंकी दोनो अपीलें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है एवं पक्षकारान एवं प्रश्नगत आराजीयात समान होने से दोनो अपीलो का निस्तारण इस एक ही निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है। जिसकी एक-एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर संलग्न की जावे।

अपील संख्या 394/2012 ग्यारसीलाल बनाम धाळू में मुख्य रूप से पक्षकारान द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ग्यारसीलाल / धान्नु

तारीख हुक्म	394/2012 503/2012	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धान्नु / ग्यारसीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस की गई, जिसमे अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि गोपाल के दो पुत्र मुला व ओंकार थे। दोनो ने ही सहमति से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रश्नगत आराजी का बंटवारा करवाया। अन्य भूमियो के साथ ख.न 664 वादी/अपीलार्थी के हिस्से मे आयी किन्तु सहवन से उक्त आराजी का इन्द्राज सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में वादी के हक मे न होकर 1/8 हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व रामलाल पुत्र परसा का नाम दर्ज कर दिया गया। दिनांक 07/6/88 को यह भूमि ओंकार द्वारा प्रभात पुत्र नृसिंह को बेचान कर दी गयी जबकी प्रश्नगत आराजी का विभाजन परिवारो के मध्य दिनांक 04/7/85 को ही हो चुका था एवं आराजी ख.न 664 सम्पूर्ण बंटवारे के अनुसार वादी/अपीलान्टस के हक मे रही थी, जिसकी पुष्टि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पूर्वज मुला के हक मे जारी किया गया पर्चा लगान से भी होती है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि संदर्भित बंटवारेनामे को कोई चुनोती नही दी गयी है एवं राजस्व रिकार्ड में अन्य खसरा नम्बरान का अमल विभाजन के अनुसार हुआ है एवं उसी के तहत ख.न 664 वादी/अपीलान्टस को प्राप्त हुआ था किन्तु सेटलमेन्ट पश्चात मिसल बनाते समय सहवन से आराजी हाल ख.न 664/0.51 राजस्व रिकार्ड मे मुला पुत्र ओंकार के साथ 1/8 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व रामलाल पुत्र परसा का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरुस्ती

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
394/2012 503/2012	ग्यारसीलाल / धानु धानु / ग्यारसीलाल	

हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था एवं वादी का वाद रिकार्ड से बखूबी साबित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया गया जो नियम विरुद्ध होने से अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोंडे.2 की ओर से मात्र एक ही आपत्ति उठाई गयी है कि भू-प्रबन्ध विभाग को पक्षकारान के विभाजन सम्बन्धि कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिये वादी का वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही तौर पर खारिज किया गया है किन्तु प्रश्नगत आराजी पर रेस्पोंडे-2स के कब्जे के संरक्षण हेतु प्रतिवादी/रेस्पोंडे-2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत का3022 क्लेम गलत तौर पर खारिज किया गया है। अत: अपील खारिज फरमाई जाकर अन्य अपील संख्या 394/2012 जो कि का3022 क्लेम के खारिजी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है को स्वीकार फरमाई जाकर का3022 क्लेम डिक्री फरमाया जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं इसके परिपेक्ष में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि आराजी खसरा नम्बर 477/1.41, 630/0.36, 631/0.53

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
394/2012 503/2012	ग्यारसीलाल/धोलू धोलू/ग्यारसीलाल	7
	632/1.07, 633/0.79, 635/0.96, 636/0.37, 637/0.33, 656/0.53, 657/0.11, 658/0.53, 660/0.20, 661/0.39, 662/0.48, 663/0.50, 664/0.41, 669/0.04, 670/0.31, 671/0.11, 672/0.43, 673/0.46 स्थित वाके मौजा सुजातनगर तहसील कोटपूतली मुला, ओंकार पुत्र गोपाल के शामिलाती खाते की आराजीयात थी, जिसके संदर्भ मे सहमति विभाजन पत्र तैयार हुआ एवं पक्षकारान के पृथक-पृथक हिस्से कायम हुये, जिसके अनुरूप ही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चे जारी किये गये। प्रतिवादी द्वारा भी अन्य उपरोक्त वर्णित आराजीयात में पक्षकारान का बँटवारा स्वीकारा गया है किन्तु खसरा नम्बर 664 के संदर्भ मे प्रतिवादी द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस खसरा नम्बर का पक्षकारान के मध्य बँटवारा नही हुआ एवं रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण का इसमे 1/8 हिस्सा है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का यह तर्क मान्य नही हो सकता क्यूंकी वाद मे अंकित आराजीयात के सम्बन्ध मे जब बँटवारा हुआ तो उन्ही आराजीयात मे से खसरा नम्बर 664 बँटवारे से पृथक कैसे किया गया, जबकी उक्त खसरा नम्बर के बँटवारे की वादी/अपीलार्थी के पक्ष मे होने पुष्टी भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पूर्वज मुला पुत्र गोपाल के हक मे जारी	

पर्चा लगान से होती है, जिसमे उक्त मुत्या के हक मे कोई अन्य आराजीयात के साथ खसरा नम्बर 664 रकबा 0.41 हैक्टयर का भी अंकन है। जिससे उक्त खसरा नम्बर बंटवारे के दौरान बंटवारे से शेष रहने के स्थान पर बंटवारे मे वादी/अपीलार्थीस के हक मे आना सिद्ध है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद सिद्ध होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर पर खारिज किया गया है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी/अपीलार्थीस द्वारा प्रस्तुत यह अपील संख्या 394/2012 ग्यारसीलाल बनाम धापुलाल स्वीकार करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03/8/2012 निरस्त किये जाते है एवं वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 664 रकबा 0.41 हैक्टयर स्थित ग्राम मौजा सुजातनगर तहसील कोटपूतली का वादी/अपीलार्थीस को तनहा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती इन्द्राज की जावे साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे हाल ख.न. 664/0.41 वाके मौजा सुजातनगर तहसील कोटपूतली के सम्पूर्ण आराजी पर वादी/अपीलार्थीस को शान्तिपूर्वक काश्त करने एवं दिगर व्यक्तियो को रहन, बेचान न करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

चूंकी वादी ग्यारसीलाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद उपरोक्त अनुसार खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	394/2012 503/2012	ग्यारसीलाल / धानु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धानु / ग्यारसीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नम्बर 664 हेतु डिक्री किया जा चुका है। अतः इसी खसरा नम्बर हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत का3022 क्लेम अब सारहीन होने से उसके संदर्भ मे प्रस्तुत अपील संख्या 503/2012 धानु बनाम ग्यारसीलाल खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09/2/2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।